<u>**प्रेस नोट दिनांक 24-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर**</u>

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी एवं पुलिस लाइन्स परिसर का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

आज दिनांक 24-03-2023 को अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थगर द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई तथा भोजनालय, क्वार्टर गार्द, चिल्ड्रेन पार्क आदि का निरीक्षण किया गया व पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। प्रतिसार निरीक्षक भूतनाथ गुप्ता सहित लाइन्स के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

<u>**प्रेस विज्ञप्ति जनपद सिद्धार्थनगर दिनॉक 24-03-2023**</u>

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर परेड का किया गया आयोजन।

आज दिनांक 24-03-2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों पर परेड का आयोजन किया गया। जिसमें थाना प्रभारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई।

<u>**प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर’**</u>

‘‘पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा सिद्धार्थनगर के सदर सर्किल का किया गया अर्दली रुम कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश’’।

आज दिनांक 24.03.2023 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री आर0 के0 भारद्वाज द्वारा परिक्षेत्र के जनपद सिद्धार्थनगर के सदर सर्किल के क्षेत्राधिकारी व थानों सिद्धार्थनगर, उसका बाजार, मोहाना, कपिलवस्तु व लोटन के थाना प्रभारियों व कर्मचारीगण के साथ अर्दली रूम किया गया। महोदय द्वारा अपराध रजिस्टर, लंबित विवेचना, प्रारंभिक जांच, जेड रजिस्टर आदि का गहनता से समीक्षा की गई जिसमें महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर को निर्धारित समयान्तर्गत अर्दली रूम करने एवं विवेचनाओं को समयावधि व गुणवत्तापूर्ण

निस्तारण सर्किल के थानों का कराने हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारीगण को विवेचना निस्तारण के प्रतिशत को सुधारने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रभारीगण को अपने थानों के समस्त विवेचकगण का अर्दली रुम कर विवेचनाओं के प्रत्येक बिन्दुओं की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान थाना उसका बाजार, लोटन व मोहाना के आइजीआरएस की स्थिति काफी खराब मिली जिस पर महोदय द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुये गुणात्मक सुधार हेतु निर्देशित किया गया व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाने निर्देश दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा आम जनमानस व मीडिया के लोगों का सीधे तौर पर पुलिस से जुड़ाव हो सके। भूमि विवाद मामलों में बिना राजस्व कर्मियों के किसी भी दशा में हस्तक्षेप न करने हेतु कड़ी हिदायत दी गयी। पब्लिक अप्रूवल सिस्टम (PAS) में रेटिंग सुधार हेतु निर्देश दिया साथ ही साथ विगत 03 माह में स्थिति में सुधार ना होने पर कार्रवाही हेतु बताया गया।

<u>प्रेस नोट दिनांक 24-03-2023</u>

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 24-03-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई। जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 01 परिवार को बिखरने से बचाने मे महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान म0हे0का0 सविता सिंह व म0 आ0 प्रियम्बदा सिंह म0आ0 नेहा सिंह महत्वपूर्ण योगदान रहा।-

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1.संध्या पत्नी ओमप्रकाश साकिन मदनपुर, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>प्रेस नोटःदिनांक 24.03.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर</u>

आज दिनांक 24.03.2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात जयराम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा पेट्रोल पंप तिराहा, साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खडे वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 29 वाहनों से 32500/-रू0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने

और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, एवं प्रभारी यातायात द्वारा शहर के महत्वपूर्ण चौराहा/तिराहा पर यातायात संकेत चिन्ह का साइन बोर्ड लगवाया गया जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सके।

<u>प्रेस नोटःदिनांक 24.03.2023 सिद्धार्थनगर</u>

थाना शोहरतगढ़ के खुनवां पुलिस चौकी पर पुलिस एसएसबी व प्लान इंडिया की टीम द्वारा गोष्ठी कर बॉर्डर क्षेत्र में बाल तस्करी की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया।

आज दिनांक 24-03-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ अन्तर्गत खुनवां पुलिस चौकी पर बाल तस्करी की रोकथाम व आपसी समन्वय बनाये रखने हेतु पुलिस, एसएसबी व प्लान इंडिया के सदस्यों की संयुक्त टीम गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान प्लान इंडिया के सदस्यों द्वारा ऑटो ड्राइवर, वेंडर व अन्य संस्थाओ को बॉर्डर क्षेत्र में बाल तस्करी रोकने हेतु जागरूक किया गया। चौकी प्रभारी महेंद्र चौहान द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि उन्हे किसी भी व्यक्ति पर अगर संशय हो तो तत्काल पुलिस/एसएसबी अथवा लोकल संस्थाओ को तत्काल सूचित करे ताकि ऐसे प्रकरणों में तात्कालिक कार्यवाही की जा सके। एसएसबी 43वीं बटालियन टीम द्वारा मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति को साझा कर प्रतिदिन इस तरह की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम हेतु ट्रांसपोर्टरों, ऑटो ड्राइवर व वेंडरो की भूमिका से अवगत कराते हुये इस पर अंकुश लगाने के लिये उनके वाहनों से आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये संस्थाओं को सूचित किये जाने हेतु अपील की गयी। इसके साथ प्लान इंडिया ने सभी को प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि बॉर्डर क्षेत्र में बाल शोषण की सम्भावनाये ज्यादा होती है इसलिए हम सभी को मिलकर इन मुद्दों को चिन्हित करके काम करने की जरुरत है। सरकार द्वारा चलायी जा रही हेल्पलाइन सुविधाओं 112, 139, 1098, 1090,1930, 1903 के बारे में बताया।

उक्त बैठक में खुनुवा चौकी प्रभारी महेंद्र चौहान, एसएसबी 43वीं बटा. सब इंस्पेक्टर दर्शनलाल, नेपाल संस्था (पीआरसी) से सुनीता के सी, ग्राम प्रधान खुनुवा संजय कुमार, प्लान इंडिया से प्रसून शुक्ल, हरिकेश दुबे, रूपा उमर व ऑटो ड्राइवर तिलकराम, दिलीपकुमार, बब्लू, बेचन व अन्य आमजनमानस उपस्थित रहे।

प्रेस नोट- दिनांक 24-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपियों को 03 वर्ष के कारावास व ₹ 6,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24-03-2023 को सत्र परीक्षण सं. 695/2002 मु.अ.सं. 150/2000 धारा 323,325,504 भा0द0वि0 थाना चिल्हिया से सम्बन्धित अभियुक्तगण उजागिर,भगेलू पुत्रगण सुकई यादव, भज्जन पुत्र रामउजागिर निवासीगण केशारा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण को भज्जन, उजागिर व भगेलू उपरोक्त को माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ जेएम सिद्धार्थनगर द्वारा भज्जन को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व ₹5,000/- अर्थदण्ड से व उजागिर , भगेलू को एक-एक वर्ष के कारावास व ₹1,000-1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी कुशल पाल सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा न्यायालय पैरोकार उ0नि0 रामदरश गौतम, थाना चिल्हिया का सराहनीय योगदान रहा।